

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

—: आदेश :—

इस कार्यालय के आदेश दिनांक:- 19.05.2018 द्वारा माया बजाड प्रधानाचार्य राउमावि भल्लो का गुढा उदयपुर का स्थानान्तरण प्रशासनिक आधार पर राउमावि, डेलवास उदयपुर में किया गया । जिसके विरुद्ध माया बजाडने राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील संख्या 644 /2018 माया बजाड बनाम सरकार दायर की गई ।

माननीय अधिकरण ने उक्त अपील संख्या 644 /2018 में दिनांक 06.06.18 को अंतरिम आदेश देते हुए विवादग्रस्त स्थानान्तरण आदेश दिनांक:- 19.05.2018 एवं 24.05.2018 की पालना में अपीलार्थी ने यदि नवीन पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो विवादग्रस्त आदेश का कियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के संबंध में अधिकरण की आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित रहेगा । इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया है कि सक्षम प्राधिकारी अपीलार्थी के नवीन आदेश प्रसारित कर यात्रा भत्ता एवं योगकाल अनुज्ञेय करते हुए नवीन स्थानान्तरण /पदस्थापन आदेश जारी करते हैं तो उक्त आदेश बाधक नहीं होना बताया है ।

माननीय अधिकरण द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 06.06.2018 की अनुपालना में इस कार्यालय का आदेश क्रमांक:- शिविरा/मा/बी-2/45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.05.2018 एवं 24.05.2018 को अपीलार्थी की हद तक अपील संख्या 644 /2018 माया बजाड बनाम सरकार में आगामी सुनवाई तिथि तक स्थगित किया जाता है ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान बीकानेर

दिनांक:- 10/07/2018

क्रमांक:- शिविरा-मा/संस्था/कोर्ट केस /बी-11/अपील/644-18/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय साईट पर प्रकाशनार्थ ।
2. उपनिदेशक, (माध्यमिक) शिक्षा विभाग, जयपुर
3. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) शिक्षा विभाग उदयपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी, विधि, जयपुर
5. सहायक निदेशक-विधि, कार्यालय हाजा
6. माया बजाड प्रधानाचार्य राउमावि भल्लो का गुढा उदयपुर
7. प्रधानाचार्य, राउमावि भल्लो का गुढा उदयपुर /राउमावि, डेलवास उदयपुर
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

श्रीमती इन्दिरा गुप्ता, प्रधानाचार्य राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय-कल्याण कुन्ज, झोटवाडा, जयपुर को तत्काल प्रभाव से राज्य हित में राउमावि-पुठौली, गंगरार, चित्तौडगढ स्थानान्तरित किया जाता है ।

श्रीमती गुप्ता उक्त आदेश के क्रम में तत्काल शाला दर्पण के माध्यम से कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की कार्यवाही कर इस कार्यालय को सूचित करें । इन्हे उक्त स्थानान्तरण पर यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा ।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस


निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/कोर्ट केस/बी-2/अपील /671/2018

दिनांक 10.7.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

### कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2 /45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 24.05.2018 द्वारा श्री रणजीत सिंह, प्रधानाचार्य -आर पी कायल आदर्श सीनीयर मावि खिरोड, झुन्झुनु का स्थानान्तरण राउमावि-टान्टवास जिला नागौर किया गया था जिसके विरुद्ध रणजीत सिंह द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण में अपील सं 789/2018 रणजीत सिंह बनाम श्रीमान निदेशक, माध्यमिक शिक्षा दायर की गई।

उक्त अपील में माननीय न्यायालय निर्णय दिनांक 13.06.2018 द्वारा विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री रणजीत सिंह के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में विभागीय आदेश दिनांक 24.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री रणजीत सिंह के अभ्यावेदन निस्तारण तक स्थगित रहेगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/अपील/789/2018 दिनांक 11.07.18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, चुरू/अजमेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा झुन्झुनु/नागौर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

# कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2 /45002/प्रधाना.स्था/2018 दिनांक 19.05.2018 द्वारा श्री महीपाल सिंह, प्रधानाचार्य राउमावि-रिछन्दा, बारां का स्थानान्तरण राउमावि-श्रीनाथपुरम, कोटा किया गया था। तत्पश्चात श्री सिंह को कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक) कोटा द्वारा कार्यालय आदेश दिनांक 28.05.2018 द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में किया जाकर मुख्यालय कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर किया गया जिसके विरुद्ध श्री महीपाल सिंह द्वारा माननीय अपील अधिकरण जयपुर में अपील सं 871/2018 महीपाल सिंह बनाम श्रीमान निदेशक दायर की गई।

अपील संख्या 871/2018 के क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.06.2018 द्वारा आदेश दिनांक 28.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है।

अतः माननीय न्यायालय निर्णय की अनुपालना में आदेश दिनांक 28.05.2018 का क्रियान्वयन अपीलार्थी श्री महीपाल सिंह के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित रहेगा।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक ०९.०७.१८

क्रमांक:-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/45002/प्रधाना-स्था./2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा कोटा/बारां।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा-जयपुर।
5. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
7. संबंधित कार्मिक को आदेश की पालनार्थ।
8. निजी/रक्षित पत्रावली

